संख्या– 1042/18–4–2010–20(विविध)/94टी0सी0

प्रेषक,

श्री के0डी0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल,2010

विषयः प्रदेश के अच्छे उद्योगों को स्टार केटेगरी दिये जाने की योजना के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–711/18–6–6–20(विविध)/94, दिनांक 6.4.1994 के प्रस्तर–4 में गठित कमेटी के अंतर्गत क्रम संख्या–(2) में सदस्य के रूप में उल्लिखित प्रबंध निदेशक, पिकप, लखनऊ के स्थान पर प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर को समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

2. उक्त शासनादेश संख्या–71118–6–6–20(विविध)/94, दिनांक 6.4.1994 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष सभी बिन्दु एवं शर्ते यथावत् प्रभावी रहेंगी।

भवदीय,

(के0डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या–1042(1)/18–4–2010–20(विविध)/94टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
5. प्रबंध निदेशक, पिकप, लखनऊ।
6. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग उ0प्र0।
7. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र उ0प्र0।
8. गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(के0डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।